

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2023-24/ई-08436/

दिनांक-

श्री रोहित जैन,
एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक),
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
भामाशाह डेटा सेन्टर, झालाना,
राजस्थान, जयपुर

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु छात्रवृत्ति/स्कूटी योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल प्रारम्भ करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निम्नलिखित योजनाओं हेतु छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाईन आवेदन करने हेतु दिनांक-01.10.2026 से 30.11.2026 तक छात्रवृत्ति पोर्टल खोला जाना है-

क्र. स.	छात्रवृत्ति/स्कूटी का नाम
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना
2.	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना
3.	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना (प्रथम वर्ष) देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि योजना (स्नातक एवं स्नातकोत्तर)
	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना :-
	1. सभी वर्ग की छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 12वीं उत्तीर्ण
	2. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)
	3. सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग)
	4. अल्पसंख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (अल्पसंख्यक मामलात विभाग)
4.	5. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग)
	6. अनुसूचित जनजाति (ST) की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग)
	7. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)
5.	बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना
6	बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता
7	जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता
8	सहरिया जनजाति छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) हेतु आर्थिक सहायता
9	सहरिया छात्र-छात्राओं को बी.एड. प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता

- पोर्टल प्रारम्भ की तिथि – 01.10.2026
- पोर्टल बंद करने की तिथि – 30.11.2026

उपर्युक्तानुसार योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन के लिए उक्त तिथियों के अनुसार पोर्टल खुलवाया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(कैलाश चन्द्र यादव)
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2023-24/ई-08436/

दिनांक-

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय/वित्तपोषित विश्वविद्यालय,
वित्तपोषित महाविद्यालय/निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय,
रजिस्ट्रार, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा,
क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय कार्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
खुला विश्वविद्यालय, जयपुर एवं जोधपुर,
राजस्थान।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु छात्रवृत्ति/स्कूटी योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन
हेतु पोर्टल प्रारम्भ करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निम्नलिखित योजनाओं हेतु
छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाईन आवेदन करने हेतु दिनांक-01.10.2026 से 30.11.2026 तक
छात्रवृत्ति पोर्टल खोला जाता है-

क्र.स.	छात्रवृत्ति/स्कूटी का नाम
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना
2.	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना
3.	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना (प्रथम वर्ष) देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि योजना (स्नातक एवं स्नातकोत्तर)
	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना :-
	1. सभी वर्ग की छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 12वीं उत्तीर्ण
	2. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)
	3. सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग)
	4. अल्पसंख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (अल्पसंख्यक मामलात विभाग)
4.	5. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग)
	6. अनुसूचित जनजाति (ST) की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग)
	7. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)
5.	बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना
6	बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता
7	जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता
8	सहरिया जनजाति छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) हेतु आर्थिक सहायता
9	सहरिया छात्र-छात्राओं को बी.एड. प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता

- पोर्टल प्रारम्भ की तिथि – 01.10.2026
- पोर्टल बंद करने की तिथि – 30.11.2026

योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/HTE/10524> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्र-छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, परिपत्र क्रमांक-955 दिनांक-30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल-निवास, बैंक डिटेल्, मोबाइल नं. आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/HTE/30992> द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें। जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(कैलाश चन्द्र यादव)
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2023-24/ई-08436/
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक-

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. प्रभारी वेबसाइट, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2023-24/ई-08436/

दिनांक-

छात्रवृत्ति एवं स्कूटी हेतु ऑनलाईन आवेदन

राजस्थान स्थित राजकीय/निजी विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से निम्नलिखित योजनाओं में विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/HTE/30992> पर ऑनलाईन आवेदन करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल दिनांक-01.10.2026 से 30.11.2026 तक खोला जाता है -

क्र.स.	छात्रवृत्ति/स्कूटी का नाम
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना
2.	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना
3.	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना (प्रथम वर्ष) देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि योजना (स्नातक एवं स्नातकोत्तर)
4.	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना :- 1. सभी वर्ग की छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 12वीं उत्तीर्ण 2. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) 3. सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग) 4. अल्पसंख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (अल्पसंख्यक मामलात विभाग) 5. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 6. अनुसूचित जनजाति (ST) की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 7. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)
5.	बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना
6	बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता
7	जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता
8	सहरिया जनजाति छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) हेतु आर्थिक सहायता
9	सहरिया छात्र-छात्राओं को बी.एड. प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता

- पोर्टल प्रारम्भ की तिथि – 01.10.2026
- पोर्टल बंद करने की तिथि – 30.11.2026

योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/HTE/10524> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्र-छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, परिपत्र क्रमांक-955 दिनांक-30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक

है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल-निवास, बैंक डिटेल, मोबाइल नं. आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/HTE/30992> द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें। जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

(कैलाश चन्द्र यादव)
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक—एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2023-24/ई-08436/

दिनांक—

आयुक्त

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

राजस्थान, जयपुर

विषय :- विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति संलग्न की जा रही है ।
कृपया संलग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन न्यूनतम साईज में राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक
भास्कर के आगामी अंक के राज्य संस्करण, राजस्थान में प्रकाशन करवाकर भुगतान
हेतु बिल तीन प्रतियों में प्रेषित करावें ।

संलग्न— विज्ञप्ति आठ प्रति

(कैलाश चन्द्र यादव)

अतिरिक्त आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2023-24/ई-08436/

दिनांक-

समस्त प्राचार्य
राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय- ऑनलाईन छात्रवृत्ति हेतु महाविद्यालय में संचालित कोर्स का रजिस्ट्रेशन एवं कोर्स मैपिंग <http://scholarship.rajasthan.gov.in/> पर कराने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों/स्कूटियों के ऑनलाईन आवेदन हेतु <http://scholarship.rajasthan.gov.in/> पर निम्नानुसार शीघ्र कार्यवाही कर सूचित करावे, जिससे कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरते समय कोई व्यवधान नहीं हो।

1. वर्ष 2026-27 में खुले नये महाविद्यालयों का रजिस्ट्रेशन एवं महाविद्यालय में संचालित कोर्सेज की कोर्स मैपिंग करावे।
2. अपने महाविद्यालयों में नये संचालित कोर्सेज की सत्र 2026-27 के लिए मैपिंग करावे।
3. जिन महाविद्यालयों ने वर्ष 2025-26 में अपने महाविद्यालय में संचालित कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे इस वर्ष 2026-27 में आवश्यक रूप से रजिस्ट्रेशन करावे। रजिस्ट्रेशन कराये बिना छात्रवृत्ति/स्कूटी हेतु ऑनलाईन आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
4. वर्तमान में महाविद्यालय में संचालित समस्त कोर्सेज/एफिलेशन का संबंधित विश्वविद्यालय से आवश्यक रूप से अनुमोदन (Approved) करावे, तदुपरान्त ही विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति/स्कूटी हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा।

उपर्युक्त कार्यवाही में विलम्ब किया जाता है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(कैलाश चन्द्र यादव)

अतिरिक्त आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

दिनांक-

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2023-24/ई-08436/

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है-

1. समस्त रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय राज्य वित्तपोषित/निजी विश्वविद्यालय राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. श्री रोहित जैन, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भामाशाह डाटा सेन्टर झालाना, राजस्थान, जयपुर का ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक अपडेशन किये जाने हेतु।
3. प्रभारी, वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त आयुक्त

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2023-24/ई-08436/

दिनांक-

रजिस्ट्रार
समस्त विश्वविद्यालय
राजस्थान

विषय- महाविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर एफिलेशन कोर्स मैपिंग अनुमोदन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालयों द्वारा वर्ष 2026-27 में एफिलेशन/कोर्स मैपिंग उपरान्त संबंधित विश्वविद्यालयों से अनुमोदन चाहा गया है। जिससे की छात्रवृत्ति पोर्टल (<http://scholarship.rajasthan.gov.in/>) पर महाविद्यालय का नाम प्रदर्शित हो सके तथा विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन किया जा सके।

अतः विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को निर्देशित करें कि जिन महाविद्यालयों द्वारा एफिलेशन/कोर्स मैपिंग कर अनुमोदन चाहा गया है उनका शीघ्रता शीघ्र अनुमोदन की कार्यवाही करें। जिससे कि विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा सके।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करावें।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(कैलाश चन्द्र यादव)
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2023-24/

दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है-

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान
2. श्री रोहित जैन, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भामाशाह डाटा सेन्टर झालाना, राजस्थान, जयपुर का ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक अपडेशन किये जाने हेतु।
3. प्रभारी, वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त आयुक्त